मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / मण्डी कार्मिक / बी–1 / विविध–38 / 503 भोपाल, दिनांक 23 / 09 / 2019

प्रति,

संयुक्त / उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल / इन्दौर / उज्जैन /
ग्वालियर / जबलपुर / सागर / रीवा.

विषयः—50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा।

संदर्भः—म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी. 3–24 / 2000 / 3 / 1, दिनांक 22–08–2000, 10 दिसम्बर 2001, 20 दिसम्बर 2001, 30 जनवरी 2001, 21 फरवरी 2002 एवं दिनांक 20 मार्च 2003 तथा परिपत्र क्रमांक सी. 3–10 / 2019 / एक / 3, दिनांक 06 जुलाई 2019.

———

संदर्भित परिपत्रों द्वारा 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सबंध में निर्देश प्रसारित किये गये है।

मान0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए है कि शासकीय कार्यो में बेहतर Efficency की आवश्यक बताते हुए ऐसे अधिकारी जो अक्षम है अथवा अक्षमता के साथ कार्य करते है उन्हें हटाया जाये। इस हेतु 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले अधिकारी की समीक्षा कर अयोग्य पाये जाने वाले कर्मियों की सेवायें समाप्त करने का समय–सीमा में निर्णय लेना है। इस विषय में आंचलिक अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक तथा मण्डी सचिवों के साथ होने वाली मासिक वीडियो कान्फ्रेन्स में निर्देश दिये गये है।

उक्त प्रयोजन हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:--

1.	उप / संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय	–	अध्यक्ष
2.	कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग	--	सदस्य
3.	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति	--	सदस्य / सचिव
4.	आंचलिक कार्यालय या तकनीकी कार्यालय में पदस्थ आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि, जो द्वितीय श्रेणी से कम न हो	–	सदस्य

अतः शासन के उक्त निर्देश दिनांक 06 जुलाई 2019 की छायाप्रति एवं निर्धारित प्रोफार्मा संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में मण्डी समिति सेवा के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संवर्गो के कर्मचारियों, जिनकी 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उनके अभिलेखों की समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सबंध में आंचलिक संयुक्त / उप संचालक, मण्डी बोर्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आहूत कर अनुशंसा सबंधित मण्डी समिति को दिनांक 15 नवम्बर 2019 तक उपलब्ध करायेगी, जिस पर नियोक्ता द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे और पालन प्रतिवेदन आंचलिक अधिकारी के माध्यम से मण्डी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(हस्ताक्षर) 19/9/19
प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक / मण्डी कार्मिक / बी–1 / विविध–38 / 504 भोपाल, दिनांक 23/ 09 / 2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय।
2. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (समस्त) तकनीकी संभाग ।
3. भारसाधक अधिकारी (समस्त) कृषि उपज मण्डी समिति।
4. सचिव (समस्त) कृषि उपज मण्डी समिति।

19/9/19

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

परिशिष्ट–अ

20 वर्ष की सेवा व 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मंडी समिति सेवा के समस्त संवर्गा की जानकारी

क	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थी स्थल	संभाग का नाम	जन्म तिथि	50 वर्ष की आयु पूर्ण	सेवा में प्रथम नियुक्ति का	20 वर्ष की सेवा	सेवा निवृत्त का दिनांक	विगत बीस वर्षो की गोपनीय चरित्रावलीयॉं																						[illegible]
										.96-97	.97-98	.98-99	.99-00	.00-01	.01-02	.02-03	.03-04	.04-05	.05-06	.06-07	.07-08	.08-09	.09-10	.12-11	.11-12	.12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

सदस्य / सचिव
कृषि उपज मंडी समिति

द्वितीय श्रेणी
आरक्षित प्रतिनिधी
सदस्य

कार्यपालन यंत्री
तकनीकी संभाग
सदस्य

संयुक्त / उप संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय

20 वर्ष की सेवा व 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी भेजने हेतु निर्धारित प्रपत्र

परिशिष्ट 'ब'

क	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थी स्थल	संभाग का नाम	दिये गये दण्ड की स्थिति	प्रचलित शिकायत की स्थिति	शिकायत का स्वरूप	विभागीय जॉच की स्थिति	लिये गये चिकित्सा अवकाश	वर्ष में लिये गये चिकित्सा देयक	रिमार्क
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

सदस्य / सचिव
कृषि उपज मंडी समिति

द्वितीय श्रेणी
आरक्षित प्रतिनिधी
सदस्य

कार्यपालन यंत्री
तकनीकी संभाग

संयुक्त / उप संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय..............